न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/148/2025	2025/360	06.10.2025	25.11.2025

1. जसप्रीत सिंह बक्शी पुत्र श्री जसपाल सिंह बक्शी जाति सिक्ख निवासी 1101 टावर 9डी, क्लाज साउथ, नीरवाना काउन्टी, सेक्टर –50, इस्लामपुर, गुरुग्राम, हरियाणा।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. तहसीलदार साहब नौगांवा जिला अलवर।

–असल रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध तहसीलदार नौगांवा आदेश दिनांक 19.09.2024 प्रकरण सं0 33/24 वाके ग्राम धनेटा तहसील नौगांवा जिला अलवर राज0।

उपस्थितः–
01–श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल –वकील अपी0
01–श्री दीपक गीना (पैरोकार सरकार) –राजकीय अधिवक्ता

–:निर्णय:–

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील तहसीलदार नौगांवा के निर्णय दिनांक 19.09.2024 प्रकरण सं0 33/24 वाके ग्राम धनेटा तहसील नौगांवा के विरूद्ध स्वीकार किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष विद्वान वकील की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 798 रकबा 0.05 है0, 799 रकबा 2.24 है० कुल किता 2 कुल रकबा 2.29 है० वाके ग्राम धनेटा तहसील नौगांवा जिला अलवर में स्थित हैं। जो आराजी गै०मु० नदी हैं। जिस आराजी के 0.62 है0 की बाबत पटवारी हल्का द्वारा पेशकर्ता रिपोर्ट के आधार पर मिन अपीलार्थी को अतिकर्मी मानते हुए धारा 91 एलआर एक्ट के तहत इस आशय का जारी किया गया था कि "ग्राम धनेटा तहसील नौगांवा जिला अलवर की सरकारी भूमि के आराजी खसरा नम्बर 798 रकबा 0.05 है0, 799 रकबा 2.24 है। कुल किता कुल रकबा 2.29 है० में से 0.62 है0 किस्म गै०मु० नदी पर अप्रार्थी श्री जसप्रीत सिंह बक्शी पुत्र जसपाल सिंह के द्वारा चार दीवारी कर अतिक्रमण बाबत पटवारी हल्का धनेटा द्वारा दिनांक 23.07.2024 को अतिचारी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने आदि।" का नोटिस जारी किया गया था। जिस नोटिस का जवाब मिन अपीलार्थी द्वारा तहत न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर दे दिया गया था। लेकिन बावजूद इसके तहत न्यायालय मिन अपीलार्थी के कथनो पर कतई गौर ना करते हुए पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर उक्त प्रकरण सं. 33/24 में मिन अपीलार्थी को दोषी मानते हुए आराजी खसरा नम्बर 798, 799 गै०मु० नदी वाके ग्राम धनेटा तहसील नौगांवा जिला अलवर से बेदखल किये जाने व 651/– रूपये शास्ती जमा कराये जाने आदेश सादिर फरमाये गये हैं। जिस तहत न्यायालय तहसीलदार नौगांवा, अलवर के आदेश दिनांक 19.09.2024 से व्यथित होकर यह अपील पेश हैं।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

विवादित आदेश दिनांक 19.09.2024 का हैं। जिसकी जानकारी अपीलार्थी को पूर्व में नहीं थी। रेस्पोडेंट द्वारा गिन अपीलार्थी को वक्त जारी किये जाने नोटिस गिन अपीलार्थी द्वारा जवाब पेश कर दिया गया था। जिस पर रेस्पोडेंट द्वारा मिन अपीलार्थी को पुनः पैमाईश कराने का आश्वासन व भरोसा दिया गया तथा कहा कि पैगाईश की कार्यवाही चल रही हैं। लेकिन गिन अपीलार्थी के बार–बार निवेदन करने के पश्चात भी रेस्पोडेंट द्वारा मौके पर किसी प्रकार की कोई पैमाईश नहीं कराई गई। तथा अब दिनांक 24.09.2025 को रेस्पोडेंट ने कहा कि अपीलार्थी के विरूद्ध तहत न्यायालय द्वारा पूर्व में ही निर्णय पारित किया जा चुका हैं। इस पर मिन अपीलार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करते हुए तहत न्यायालय के विवादित आदेश की नकल दिनांक 25.09.2025 को प्राप्त की गई तथा बिना देरी यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की जा रही हैं लेकिन फिर भी जो समय जानकारी के अभाव में, नकल प्राप्त करने, लिखा पढी कराने में आज दिन तक का व्यतित हुआ हैं वह काबिले कंडोन हैं जिस हेतु पृथक से आवेदन पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पेश हैं। तहत न्यायालय द्वारा विवादित आदेश अपीलार्थी को बगैर तलब किये व बगैर सुनवाई का अवसर दिये विधि विरूद्ध तरीके से पारित किया गया हैं। जिससे तहत न्यायालय का विवादित आदेश काबिले अपास्त हैं।

विवादित आराजीयात से मिन अपीलार्थी का कोई लेना देना किसी प्रकार का नहीं हैं तथा विवादित आराजीयात पर मिन अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार की कोई अतिक्रमण व अतिचार नहीं किया गया हैं तथा ना ही किसी प्रकार की कोई चार दीवारी का निर्माण किया गया हैं। पटवारी हल्का द्वारा तहत न्यायालय के समक्ष गलत व मिथ्या रिपोर्ट पेश की गई। जिसे तहत न्यायालय द्वारा सत्य मानते हुए मिन अपीलार्थी के विरूद्ध गलत तथ्यो पर विवादित आदेश पारित किया गया हैं। जिसासे तहत न्यायालय का विवादित आदेश काबिले अपास्त हैं। विवादित आराजीयात से लगती हुई आराजी खसरा नम्बर 771, 772, 773, 774 वाके धनेटा हैं जो गिन अपीलार्थी की खरीद की गई कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी हैं। जिस पर मिन अपीलार्थी काबिज दाखिल हैं तथा मिन अपीलार्थी द्वारा अपनी उक्त खरीदशुदा कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी की सुरक्षा हेतु चारदीवारी का निर्माण किया हुआ हैं तथा तारबंदी की हुई हैं। मिन अपीलार्थी द्वारा विवादित आराजी खसरा न0 798, 799 पर कभी भी किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण व अतिचार नहीं किया गया हैं। जिससे तहत न्यायालय का विवादित आदेश काबिले अपास्त हैं।

अपीलकर्ता ने सीमांकन की स्पष्टता हेतु तहसीलदार महोदय एवं पटवारी हल्का को सगय–सगय पर मौखिक एवं लिखित रूप से पैगाइश (Demarcation) हेतु निवेदन किया, किन्तु अधिकारियों द्वारा कभी भी मौके पर जाकर विधिवत् सीमांकन नहीं किया गया और न ही ग्राम स्तर पर पंचनामा तैयार किया गया। इसके विपरीत, पटवारी हल्का धनैटा द्वारा बिना स्थलीय निरीक्षण (Spot Verification) एवं बिना पैगाइश के एक गनगढ़ंत रिपोर्ट तैयार कर दी गई, जिसमें यह दर्शाया गया कि कथित दीवार 'गैर मुमकिन नदी' क्षेत्र में निर्मित है, जो कि पूर्णतः झूठा, आधारहीन एवं राजस्व अभिलेखों के विपरीत है। जिससे तहत न्यायालय का विवादित आदेश काबिले अपास्त हैं। मिन अपीलांट द्वारा तहसीलदार साहब व पटवारी हल्का के समक्ष अपनी आराजी की पैमाईश हेतु निवेदन किया गया था। जिस पर तहसीलदार साहब व पटवारी हल्का द्वारा मिन अपीलार्थी को पैमाईश करने का आश्वासन व भरोसा दिया गया लेकिन उनके द्वारा आज दिन मौके पर किसी प्रकार की कोई पैगाईश व सीमाज्ञान नहीं कराया गया है। जो तथ्य काबिले गौर श्रीमान है। जिससे तहत न्यायालय का विवादित आदेश काबिले अपास्त है। उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांत "Audi Alteram Partem" अर्थात "दूसरे पक्ष को सुने बिना निर्णय न किया जाए" का सीधा उल्लंघन करता है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाया जाकर तहत न्यायालय तहसीलदार नौगांवा जिला अलवर का आदेश दिनांक 19.09.2024 अपास्त फरमाने की कृपा करें।

राजकीय अभिभाषक पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को नकारते हुए कथन किया गया कि वाके ग्राम धनेटा तहसील नौगाँवा की सरकारी भूमि आराजी खसरा नं० 798 रकबा 0.05 है०, 799 रकबा 2.24 है० कुल किता 2 रकबा 2.29 है० में से 0.62 है० किस्म गै० मु० नदी पर अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा चार दिवारी कर अतिक्रमण किया गया है। पटवारी हल्का धनेटा ने नियमानुसार अप्रार्थी/अपीलान्ट के विरूद्ध अतिक्रमण रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अप्रार्थी/अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब पेश किया परन्तु ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया जिससे अतिक्रमी साबित नहीं होता हो। उक्त सभी आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने विधिवत सुनवाई की जाकर अतिक्रमी को नियमानुसार बेदखल करने के आदेश किये गये है। अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष के विद्वान वकील की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.09.2024 के विरूद्ध दिनांक 01.10.2025 को पेश की गयी है जो लगभग 01 वर्ष के विलम्ब से पेश की गई है परन्तु उक्त विवादित अपीलीय प्रकरण में अपीलांट का हित निहित है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रूख अपनाते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करने का सिद्धांत प्रतिपादित किया हुआ है। अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि उक्त विवादित आराजी से मिन अपीलार्थी का कोई लेना-देना नहीं है। किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण व अतिचार नहीं किया गया है साथ ही चार दिवारी का निर्माण नहीं किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा तहत न्यायालय के समक्ष गलत व मिथ्या रिर्पोट पेश की गई है जिसके तहत न्यायालय ने सत्य मानते हुए अपीलान्ट के विरूद्ध गलत तथ्यों पर विवादित आदेश पारित किया गया है विवादित आराजी से लगती हुई आराजी खसरा नं० 771,772,773,774 वाके ग्राम धनेटा है जो मिन अपीलांट की खरीद की गई कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर अपीलांट ने सुरक्षा की दृष्टि से चार दिवारी की गई है। विवादित आराजी खसरा नं० 798,799 पर किसी प्रकार का अतिचार नहीं किया गया है। तहत न्यायालय के समक्ष अपनी आराजी की पैमाईश कराने का निवेदन किया गया। पैमाईश नहीं की जाकर एक तरफा आदेश पारित कर दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पटवारी हल्का धनेटा ने एक रिपोर्ट दिनांक 08.07.2024 को अधिनस्थ न्यायालय में इस आशय की प्रस्तुत की गई कि वाके ग्राम धनेटा तहसील नौगाँवा की सरकारी भूमि आराजी खसरा नं० 798, रकबा 0.05है०, 799 रकबा 2.24 है० किता 2 रकबा 2.29 है० मे से 0.22 है० किस्म गैर मुमकिन नदी पर अप्रार्थी जसप्रीत सिंह बक्शी पुत्र जसपाल सिंह बक्शी के द्वारा चार दिवारी कर अतिक्रमण कर लिया गया है। उक्त पटवारी रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर सुनवाई हेतु दिनांक 29.07.2024 नियत की गई। अप्रार्थी दिनांक 16.08.2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी का जवाब संतोषप्रद नही होने पर एवं अप्रार्थी का राजकीय भूमि गैर मु० नदी पर नाजायज अतिक्रमण होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी/अपीलांट को अतिक्रमित रकबे से बेदखली व अर्थ-दण्ड स्वरूप 651 रूपये शास्ति के आदेश पारित किये

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

गये। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलांट ने अपील में कोई ऐसा साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध होता हो कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया हो। हम अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं किया जाने पर पारित निर्णय दिनांक 19.09.2024 को यथावत रखा जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने पर खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.09.2024 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमृता शुक्ला)
जिला कलक्टर,
अलवर (राज0)